म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, किसान-भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/3-10/ 87 भोपाल, दिनांक 25/08/2014

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषयः- आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो के भुगतान के लिये बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ :- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्र./बोर्ड/ऋण/75/पार्ट/18-19 दि. 25.5.2012

--00--

उल्लेखित विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो के भुगतान के लिये बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

प्राय यह देखने में आ रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो के भुगतान के लिये बोर्ड से अनुदान प्राप्त करने के प्रस्तावों की संख्या बढती जा रही है। मण्डी समितियॉ पूर्व से ही अपनी आय के आधार पर संचालित हो रही थी। तत्समय मंडियों को अनुदान की आवश्यकता नही होती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आय बढाने के लिये मण्डी समितियों में अत्याधिक प्रयास नही किये जाकर अनुदान पर आश्रित होती जा रही है। मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का संभागीय अधिकारियों द्वारा भी गहन परीक्षण नही करके अनुदान स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव मण्डी बोर्ड को प्रेषित किये जाते है। संभागीय अधिकारी संभाग की मण्डी समितियों का नियंत्रणकर्ता अधिकारी है। आय-आवक में कमी होने पर मण्डी समिति के साथ-साथ संभागीय अधिकारी का भी उत्तरदायित्व होता है।

अतः भविष्य में प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन/भत्तो के भुगतान के लिये बोर्ड से अनुदान स्वीकृत करने के प्रस्ताव का गहन एवं वास्तविक आकडों के आधार पर आंचलिक अधिकारी परीक्षण करे। यदि मण्डी समिति को वेतन/भत्तो के लिये अनुदान स्वीकृत करना आवश्यक हो तो, आंचलिक अधिकारी अपने स्पष्ट प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित जानकारी भेजना सुनिश्चित करे :-

01. मण्डी समिति की पिछले 03 वर्षों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में कृषि उपज का उत्पादन (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की जानकारी के अनुसार) के परिप्रेक्ष्य में मण्डी में उपजवार आवक, आय स्पष्ट प्राप्त की जाए। कृषि उपज की जानकारी कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त जानकारी प्राप्त की जाए।

02. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से प्राप्त जानकारी एवं मण्डी बोर्ड की आय-आवक में तुलनात्मक अंतर होने की स्थिति में स्पष्ट किया जाए कि यह अन्तर क्यों उत्पन्न हुआ है ?

03. विगत 03 वर्षों में मण्डी की आय बढ़ाने के संदर्भ में मण्डी के अधिकारी/कर्मचारियों के दल ने गोदामों में कितनी जांच की ? जांच रिपोर्ट सहित जानकारी भेंजे।

04. विगत 03 वर्षों में मण्डी समिति के दल ने कितनी चेकिंग की? चेकिंग में बिना/फर्जी अनुज्ञा पत्र के कितने वाहन पकड़े गए और उनसे कितनी राशि वसूल की गई। अवगत कराएं?

05. मण्डी की आय आवक को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी समिति की स्थापना में वास्तव में कितने स्टाफ की आवश्यकता है ? परीक्षण करें। यदि कार्य को दृष्टिगत रखते हुए अधिक स्टाफ कार्यरत है तो स्पष्ट रूप से उनका स्थानान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

06. अनुदान का प्रस्ताव आंचलिक संयुक्त संचालक/उप सचांलक के माध्यम से भेजें।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/ऋण/3-10/88 — भोपाल, दिनांक 25/08/2014

प्रतिलिपिः-

संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,............ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करते समय उपरोक्त बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। उल्लेखनीय है कि जिस संभाग की मण्डी समिति से वेतन भत्तों के लिए अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है उस संभाग के संभागीय अधिकारी का भी सचिव के साथ बराबर का उत्तरदायित्व रहेगा। प्रस्ताव पूर्ण परीक्षण उपरांत स्पष्ट मत सहित मण्डी बोर्ड कार्यालय को प्राप्त हो।

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल